दिनांक: 20/09/2023

राजकीय अध्यापक शिक्षा महाविधालय धर्मशाला
जिला कांगड़ा हि0 प्र0

सूचना

राजकीय अध्यापक शिक्षा महाविधालय धर्मशाला जिला कांगड़ा में अध्ययनरत प्रशिक्षुओं को सूचित किया जाता है कि अगर कोई प्रशिक्षु बेरोजगारी भत्ता योजना के अन्तर्गत भत्ता ले रहा है तो उसे तुरन्त प्रभाव से अपने नजदीकी रोजगार कार्यालय में जाकर बन्द करवाए ताकि भविष्य में उन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना ना करना पड़े, अगर कोई विघार्थी फिर भी इस योजना का गलत तरीके से लाभ लेता है तो उसके विरूद्व कानूनी कार्यवाही अमल में लायी जा सकती है।

20.9.23

प्राचार्य
रा0 अ0 शि0 महाविधालय
धर्मशाला जिला कांगड़ा हि0 प्र0

प्राचार्य
राजकीय अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय
धर्मशाला जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

Through. Mail.

व्यक्तिगतध्यानार्थ

अतिआवश्यक

कार्यालय क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी, धर्मशाला जिला कागड़ा हि0प्र0
राष्ट्रीय नियोजन सेवाएँ हिमाचल प्रदेश

संख्या:REE/KNG/Ump Allowance Scheme/2017- 1168-1198 दिनांक: 13–09–2023.

सेवा में,

समस्त प्रधानाचार्य
राजकीय महाविद्यालय
जिला कांगड़ा हि.प्र.

विषय: **बेरोजगारी भत्ता योजना के अन्तर्गत भत्ता लेने बारे।**

महोदय जी,

उपरोक्त विषय पर सादर निवेदन है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जो बेरोजगारी भत्ता योजना, 2017 बेरोजगार युवाओं की सहायता हेतु चलाई जा रही है। इसके मुख्य नियम/पात्रता निम्न प्रकार से दर्शायी गयी है:–

1. लाभार्थी की आयु 20–35 वर्ष होनी चाहिए।
2. लाभार्थी की न्यूनतम शैक्षिणिक योग्यता बारहवीं पास होना चाहिए।
3. लाभार्थी की वार्षिक आय दो लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
4. लाभार्थी किसी भी सरकारी, अर्धसरकारी व प्राईवेट संस्थान में कार्यरत न हो।
5. लाभार्थी किसी भी प्रशिक्षण संस्थान, कॉलेज, स्कूल में अध्ययन व प्रशिक्षण प्राप्त न करता हो।

उक्त योजना सिर्फ पूर्णतया बेरोजगार युवाओं के लिए ही है।

अधोहस्ताक्षरी के ध्यान में यह लाया गया है कि इस योजना का लाभ अधिकतर विद्यार्थी वर्ग ही उठा रहा है, जोकि नियमानुसार उचित प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि इस योजना के अन्तर्गत फॉर्म–सी (स्वंय घोषणा पत्र) के क्र०स० 4 में यह स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि इस योजना का लाभ कोई भी विद्यार्थी वर्ग नहीं ले सकता है। कॉलेजों में अध्ययन करने वाले विद्यार्थी जब इस योजना के अन्तर्गत आवेदन करते है तो वह गुप्त रखते है कि वह उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनसे आवेदन फॉर्म लेते समय पूछा भी जाता है कि आप किसी प्रशिक्षण संस्थान व कॉलेज में अध्ययन तो नहीं कर रहे हैं, परन्तु आवेदनकर्त्ता उस समय सीधे तौर पर बताते है कि वह किसी भी कॉलेज या अन्य प्रशिक्षण संस्थान में अध्ययन व प्रशिक्षण प्राप्त नहीं कर रहे हैं। जबकि विद्यार्थी वर्ग पूर्णतया इस योजना के अन्तर्गत अपात्र माने गये है और देखने में यह आया है कि अधिकतर विद्यार्थी वर्ग ही इस योजना का लाभ उठा रहे हैं जिससे सरकार को वित्तीय हानि का सामना करना पड़ रहा है।

Scanned with OKEN Scanner

स्वंय घोषणा पत्र (फॉर्म–सी–संलग्न है) आई०पी०सी० की धारा 199 व 200 के अन्तर्गत आता है जोकि शपथ पत्र के रूप में माना जाता है। उक्त स्वंय घोषणा पत्र कानून के दायरे में भी आता है जिसके तहत कानूनी कार्यवाही अमल में भी लायी जा सकती है।

अतः महोदय जी, से प्रार्थना है कि आप अपने संस्थान में शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों को इस योजना बारे नीचे दी गयी सूचना से अपने प्रवक्ताओं के माध्यम से अवगत करवाने की कृपा करें, ताकि समय रहते इस पर रोकथाम की जा सके:–

"कोई भी विद्यार्थी अगर बेरोजगारी भत्ता योजना का लाभ ले रहा है तो उसे तुरन्त प्रभाव से अपने नजदीकी रोजगार कार्यालय में जाकर बन्द करवाएं, ताकि भविष्य में उन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े, अगर कोई विद्यार्थी फिर भी इस योजना का गलत तरीके से लाभ लेता है तो उसके विरूद्ध नियमानुसार जो कानूनी कार्यवाही वांछित होगी अमल में लायी जा सकती हैं जिसके लिए वह पूर्णतया स्वंय उत्तरदायी होगा और उस अवधि का शैक्षिणिक प्रमाण पत्र भी मान्य नहीं किया जा सकता है"

महोदय जी, आपके महाविद्यालय/संस्थान में वर्ष 2021–2022 और 2022–2023 में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की सूचना, निम्न format पर (MS Word Sheet/Excel Sheet) पर दिनांक 31–09–2023 तक ई–मेल (reo-dha-hp@nic.in) के माध्यम से इस कार्यालय को भेजने की कृपा करें, ताकि जो विद्यार्थी उक्त योजना का अनुचित लाभ ले रहे उन्हें जल्द से जल्द रोका जा सके:–

Sr. No.	Name	Father Name	DOB	Aadhar No.

उक्त योजना का सही संचालन करने हेतु आपके सहयोग की कामना करते हैं, ताकि विद्यार्थियों तक इस योजना की सही जानकारी पहुँच सके और साथ इस योजना का दुरपयोग न हो सके।

महोदय जी, से यह भी प्रार्थना रहेगी कि आप अपने कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी इसको प्रचारित करने की कृपा करें ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक सूचना पहुँचे सकें और इस योजना का सही संचालन हो सके। यह पत्र विद्यार्थियों व सरकार हित में जारी किया जा रहा है।

धन्यवाद सहित।

भवदीय

क्षेत्रीय रोजगार अधिकारी
धर्मशाला जिला कागड़ा हि०प्र०

Scanned with OKEN Scanner